न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 13/2022 (आ.नि.)
GCMS NO : 2022/68

अनवान

1. श्री भगवतीलाल पिता होमाजी कलाल निवासी परबीला, तहसील खेरवाडा ।
2. श्री रमेश पिता होमाजी कलाल निवासी परबीला, तहसील खेरवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शिवलाल पिता होमाजी कलाल निवासी परबीला, तहसील खेरवाडा ।
2. श्रीमती चम्पा पत्नी शिवलाल कलाल निवासी परबीला, तहसील खेरवाडा

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल अधिवक्ता विपक्षी सं. 1।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 06.02.2013 अन्तर्गत प्रकरण सं. 58/13

* निर्णय *

दिनांक – 31-07-2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा परबीला, पटवार हल्का बंजारिया तहसील खेरवाडा की आराजी नम्बर 478 व 536/2 रकबा 0.3000 है. पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का वर्षो से कब्जा होकर कृषि कर रहे है, उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के मकान बने हुए है, उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 वर्षो से काबिज होकर कृषि करते आ रहे है तथा उक्त बिलानाम आराजीयात 478 व 536/2 पर प्रार्थीगण एव विपक्षी संख्या 1 का कब्जा होकर उस पर पेड आदि उगाए जो आज बडे हो गए है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा होने से उनके विरूद्ध तहसीलदार खेरवाडा द्वारा वर्ष 2009 में धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गयी एव नोटिस जारी किये गये। उक्त आराजीयात मे से 0.2000 है. भूमि का विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम गुपचुप तरीके से की गयी लेकिन मौके पर आज दिन तक प्रार्थीगण काबिज है। कथित आवंटन नियमों के विपरीत किया गया आवंटन पूर्व न तो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

उद्घघोषणा पत्र जारी किया गया, न ही कोई आपत्ति आमन्त्रित की गई यदि उद्घोषणा जारी की जाती तो प्रार्थी अवश्य ही आपत्तियां पेश करते। कथित आवंटन बिना तहसीलदार के अनुशंसा व उपस्थिति के किया गया जो एबइनिश्योवोईड हो बिना अधिकार के है। कथित अनऔक्युपाईड भूमि नहीं थी तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा होकर ओक्युपाईड थी जिसका आवंटन किसी भी सूरत में विपक्षी संख्या 1 व 2 को नहीं किया जा सकता था, फिर भी आवन्टन कमेटी द्वारा विपक्षीगण के आवेदन दिनांक 06.02.2013 पर उसी दिन पत्रावली संख्या 58/2013 कायम कर उसी दिन आवंटन का निर्णय कर गंभीर त्रुटि कारित की है। कथित आवंटन उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा मौके पर फर्जी सुपुदर्गीनामा तैयार किया है, जबकि ऐसा कोई सुपुर्दगीनामा मौके पर कभी किया ही नहीं गया, चूंकि विपक्षीगण ने मौके पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। विपक्षी संख्या 2 जो विपक्षी संख्या 1 की पत्नी है दोनो ने मिलीभगत कर गलत तथ्य प्रस्तुत कर झूठी रिपोर्ट करवा उनके पक्ष में आवन्टन करवा लिया जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा वर्षो से था कभी भी विपक्षी संख्या 1 का एकल कब्जा नहीं रहा लेकिन विपक्षी सख्या 1 ने प्रार्थीगण को नुकसान पंहुचाने की गरज से गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्वंय एवं अपनी पत्नी के नाम आवंटन करा लिया मौके पर आज भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है एवं विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में दखलंदाजी करने पर प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर खाते की नकल व आवंटन की पत्रावली प्राप्त की तो विपक्षीगण द्वारा किये गये उक्त गलत तरीके से आवंटन की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थीगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आवंटन निरस्ती हेतु कार्यवाही करने का कहा जिस पर अधिवक्ता श्री प्रकाश जी पानेरी को उक्त प्रकरण में आवंटन की पत्रावली की प्रति दी व कार्यवाही हेतु कहा लेकिन उनके लगातार बिमार रहने से उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई एवं अभी हाल ही में उनके कार्यालय से पुनः समस्त प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आवंटन किसी भी सूरत में बहाल नहीं रखा जा सकता, हर हाल में काबिल निरस्त के है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त आधिपत्य की उक्त बिलानाम भूमि का विपक्षीगण के नाम गलत तरीके से आवंटन किया गया जो निरस्त योग्य है। वर्णित आराजी संख्या 478 व 536 का सम्पूर्ण भाग प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के कब्जे में होकर मौके पर उनका कब्जा होने बाबत् संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट रूप से कब्जा प्रमाणित हैं उक्त आराजी में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने मकान व मवेशियों के बाडे बना रखे है। आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद जानकारी होने उपरान्त नियत समयावधि में धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया कथित आवन्टन निरस्त फरमावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा हो सर्वथा गलत है। जहां तक मकानात का संबंध है केवल विपक्षीगण के कृषि प्रयोजनार्थ पशु व औजार रखने के लिए कतिपय निर्माण कर रखा है जो कि अत्यंल्प भाग है तथा शेष अधिकांश भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 के जवाब में लेख है कि प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है जहां तक प्रार्थीगण का संबंध है वह दोनो सन 2000 से पहले ही गांव छोडकर खेरवाडा कस्बे में जा बसे थे तथा वहां पर उनका तीन मंजिला मकान था जिसे सन 2005–2006 में विक्रय कर प्रार्थीगण अहमदाबाद व्यापार करने चले गये थे। इसलिए धारा 91 की कार्यवाही मे सन 2009 में कोई नोटिस जारी होना बताते है तो गलत है। विपक्षीगण ने भूमि विधिपुर्ण ढंग से पुराने कब्जे के आधार पर भूमि आंवटित करवाई है जिस बाबत् पुरा गांव जानता है जहां तक प्रार्थीगण का कथन है सर्वथा मिथ्या है। आवंटन विधिवत हुआ है जहां तक प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति पेश करने का कथन किया है वह सर्वथा गलत है कारण कि प्रार्थीगण तो सन 2005–06 में ही अहमदाबाद चले गये थे और सन 2022 तक वहीं रहे। ऐसी स्थिति में सन् 2013 में आवंटन कार्यवाही में आपत्ति पेश करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। आवंटन सलाहकार समिति के कोरम द्वारा उचित ढंग से किया गया है। कथित भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का चला आ रहा था। यह भी एक कारण था प्रार्थीगण बिना अधिकार के चूंकि उनका कोई कब्जा नहीं है। और विपक्षीगण का पुख्ता कब्जा है यह जानते हुए प्रार्थीगण ने जानबुझकर संयुक्त कब्जा बताया है जो कि गलत हैं आवंटित भूमि भाग पर केवल और केवल मात्र विपक्षीगण का ही कब्जा है। पटवारी हल्का द्वारा वस्तुतः मौके पर आकर जायदाद की प्रकृति के अनुरूप अनुज्ञेय तरिके से कब्जा सुपुर्द किया था तथा सुपुर्दगी नामा बनाया था और जबरन कब्जे का प्रश्न इसलिए भी नहीं उठता है, कारण कि विपक्षीगण का पहले से ही कब्जा चला आ रहा है। जहां तक मकान और मवेशियों के बाडे को लेकर कथन अंकित है वह सभी विपक्षीगण के है। कथित मकान पर विपक्षीगण ने विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है अपने पक्ष में मौके के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत है। अधिवक्ता की बिमारी का कथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को आवंटन की जानकारी काफी अर्से पहले हो चुकि थी लेकिन इस मध्यांतर में प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकार विपक्षीगण की आवंटित भूमि भाग में हिस्सा कायम करवाने हेतु कई मर्तबा दबाव डाला गया जब प्रार्थीगण को उनके प्रयासों में सफलता नहीं मिली तो प्रार्थीगण ने अंतिम विकल्प के रूप में यह बाद कार्यवाही प्रस्तुत की है जो कि बेरून मयाद है इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं अतः प्रार्थना है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब को अंतरथ कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वर्षो से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है। जमीन को तीनों ने मिलकर उपजाऊ बनाया है। 2009 में तीनों का कब्जा होने से तीनों को धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया है। जबकि आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 ने करा लिया जबकि विपक्षी संख्या 2 का कोई कब्जा नहीं है। अतः आवंटन को खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी भगवती लाल 2005 में ही अहमदाबाद चला गया । कुल रकबा 0.6000 है. थी मेने केवल 0.2000 है. का ही आवंटन कराया है। मेरा मकान बना है मेरा कब्जा है। मेरे हिस्से की 1/3 भूमि को ही आवंटन कराया है। पति पत्नी का संयुक्त कब्जा माना जाता है। अगर कब्जा नहीं होता तो धारा 91 का नोटिस नहीं मिलता। शेष भूमि का आवंटन करा सकते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का अध्ययन किया। मौजा परबीला पटवार हल्का बंजारिया की आ.न. 478 व 536/2 भूमि वर्तमान में स्थित है। जिसमें अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा द्वारा प्र.स. 58/13 भूमि आवंटन से दिनांक 06.02.2013 से आ.न. 478 रकबा 0.10है. एवं आ.न. 536 रकबा 0.10 है. भूमि का श्री शिवलाल पिता होमा एवं चम्पा पत्नी होमा को आवंटन किया गया । प्रार्थी का तर्क है कि संयुक्त कब्जे वाली भूमि होकर अकेले अपने नाम आवंटन करा लिया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में प्रारूप क धारा 91 का दिनांक 03.12.2010 का नोटिस की प्रति लगा रखी है जिसमें कब्जेदार के रूप में शिवलाल, भगवतीलाल, रमेश पिता होमा का नाम दर्ज है। इससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा था, नोटिस से प्रार्थी का सामुहिक कब्जे का कथन सत्य साबित होता है। सामूहिक कब्जा होते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम भूमि आवंटन करा ली है जबकि भूमि पर पुर्णरूप से कब्जा विपक्षी का नहीं था। आंवटन कमेटी के समक्ष तथ्यों को छुपाकर करवाया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार किया जाकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा द्वारा प्र.स. 58/13 भूमि आवंटन दिनांक 06.02.2013 से राजस्व ग्राम परबीला पटवार मण्डल बंजारिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर की आराजी संख्या आ.न. 478 रकबा 0.10है. एवं आ.न. 536 रकबा 0.10 है. भूमि में किया गया आवटंन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार खेरवाडा को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)